21.11.17 – पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थी जगमालराम, अर्जुनराम व सरूपाराम उपस्थित। उपस्थित अप्रार्थीगण ने प्रस्तावित रास्ता मौके पर होना स्वीकार किया है और प्रस्तावित रास्ता कदीमी होना भी स्वीकार किया है। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन में अंकित खसरान में ग्राम हरियालामगरा में स्थाई रास्ता जो सेजुओं की ढाणी से कनोड़ा सीमा तक जा रहा है, जिसकी लम्बाई 01.29 कि.मी. है। इस रास्ते पर कच्ची सड़क बनी हुई है, जो संलग्न नक्शे में बरंग लाल दशाई गई है। उक्त रास्ता बारामासी है। लिहाजा राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित पक्षकारान के खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन करावें।

(जरूपाराम)

(जगमालराम)

अर्जुनराम

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन में अंकित खसरान की भूमि में कच्ची सड़क बनी हुई है, परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है, जिसे राजस्व अभिलेख में सम्बन्धित के खाते में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर मौजा हरियालामगरा की निम्नानुसार भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाई गई है को सम्बन्धित खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावे:–

उपखण्ड अधिकारी बाडमेर

Scanned by CamScanner

अहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 816/2017 तहसीलदार बाडमेर बनाम राज. सरकार**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई–चौडाई (फीट में)	रास्ते में प्रभावित रकबा (बीघा में)
1	2	3	4	5	6
1	राजस्थान सरकार	785/671	1275.07	3	3.06
2	मोटाराम पुत्र रासीगा कौम जाट सा. देह खातेदार रहन मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा बिशाला	739/633	46.12	3	1.00
3	अर्जुनराम गोरखाराम नरपतराम पि. जेठाराम मांगीदेवी पत्नि जेठाराम जगमाल पुत्र हीरा वगैराह कौम जाट सा. कनोड़ा खातेदार	737/633	224.06	3	0.05
4	सरूपा मोडा खरथा पि. दाना वगैरा	634	81.03	3	0.07
	योग :–	-	-	-	4.18

नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

Scanned by CamScanner